न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 45/2019/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक 04.06.2019
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

सुरेश पुत्र श्री रामावतार जाति ब्राह्मण निवासी दीवाली, तहसील अटरू, जिला बारां

...अपीलान्ट

बनाम

1. हरिश शर्मा पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बलदेवपुरा हाल निवासी महावीर नगर तृतीय, म.नं. 1 एल 27, जिला कोटा
2. भंवरलाल पुत्र रामावतार जाति ब्राह्मण
3. दिनेश पुत्र रामावतार जाति ब्राह्मण
4. मूलचन्द पुत्र रामावतार जाति ब्राह्मण
5. रूकमणी पुत्री रामावतार जाति ब्राह्मण
6. संतोष बाई पुत्री रामावतार जाति ब्राह्मण
7. सावित्री बाई पत्नि मूलचंद जाति तेली
   निवासीगण दीवाली, तहसील अटरू, जिला बारां
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री प्रदीप मेहरा अभिभाषक –अपीलांट
श्री सुरेश कुमार बेनीवाल अभिभाषक –रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 09.04.2025

अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 138/2018 बउनवान हरिश शर्मा बनाम सुरेश वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2019 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत अपील में प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र. 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां न्यायालय तहसीदार, अटरू द्वारा तस्दीक इंतकाल संख्या 740 दिनांक 27.06.2018 वाके ग्राम दीवाली, तहसीली अटरू को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आशय की अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 740 दिनांक 27.06.2018 को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 21.05.2019 पारित किया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

2. अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारां द्वारा प्रकरण संख्या 138/2018 बउनवान हरिश शर्मा बनाम सुरेश वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2019 से व्यथित होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–76 अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की जाकर कथन किया गया कि विवादित आराजी के संबंध में अपीलांट ने 1/8 हिस्से का बेचान रेस्पो0 क्र. 7 सावित्री बाई को किया गया था तथा रेस्पो0 क्र. 1 द्वारा अपीलांट के पक्ष में एक इकरारनामा दिनांक 15.05.2018 को आलेखित करवाया था कि प्रश्नगत आराजी को आप कहीं रहन बेचान करे, इसमें मुझे किसी भी प्रकार से आपत्ति नहीं होगी। किंतु इसके उपरांत भी रेस्पो0 क्र.1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद/अपील प्रस्तुत की गई, जो निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा रेस्पो0 क्र.1 को विक्रय राशि वापस लौटाई जा चुकी है तथा कुछ राशि शेष है, जिसको अपीलांट नियत दिनांक तक लौटा देगा। इन सभी तथ्यों पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णत पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.05.2019 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. प्रस्तुत प्रकरण में विचाराधीन प्रकरण में उभयपक्षकारान की ओर से दिनांक 26.09.2024 को प्रार्थना–पत्र बाबत राजीनामे के आधार पर इंतकाल संख्या 740 दिनांक 27.06.2018 को पुनः बहाल किये जाने का पेश कर कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2019 के विरूद्ध अपील पेश की गई। अपीलांट के द्वारा अपने खाते की आराजी में से अपने 1/8 हिस्से की भूमि का बेचान रेस्पो0 क्र.7 सावित्री बाई को दिनांक 03.05.2018 को कर दिया था, तत्पश्चात् उक्त आराजी पर रेस्पो. क्र. 7 के नाम पर इंतकाल संख्या 740 दिनांक 27.06.2018 को तस्दीक किया गया था। रेस्पो0 क्र. 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त इंतकाल के विरूद्ध अपील पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल संख्या 740 दिनांक 27.06.2018 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार, अटरू को प्रेतिप्रेषित कर दिया गया। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में वर्तमान में परिस्थितियों में अपीलांट एवं रेस्पो0 के मध्य अब उक्त आराजी के संबंध में चल रहे विवादों में आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है, इसलिए अब रेस्पो0 को उक्त आराजी पर पूर्व में रेस्पो0 क्र. 7 सावित्री बाई के पक्ष में तस्दीक किये गये इंतकाल संख्या 740 दिनांक 27.06.2018 को पुनः बहाल किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः उपरोक्त राजीनामे के आधार पर अपील स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल संख्या 740 दिनांक 27.06.2018 को पुनः बहाल रखा जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. प्रकरण में उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत किये गये राजीनामा प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.09. 2024 के परिपेक्ष्य में उभयपक्षकारान के अभिभाषक की मौजुदगी में उभयपक्षकारान की दिनांक 29.09.

अति. सं. आयुक्त
कोटा

2024 एवं दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति तस्दीक करवायी गयी। तत्पश्चात् उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना–पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2019 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील में उल्लेखित तथ्यों पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.09.2024 में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया गया कि विवादित आराजी में अपीलांट का 1/8 हिस्सा निहित था, जिसे अपीलांट ने रेस्पो0 क्र.1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.08.2012 से विक्रय किया गया था। इसके पश्चात् रेस्पो0 क्र. 7 सावित्री बाई को उक्त 1/8 हिस्सा रेस्पो0 क्र.1 की सहमति से ही अपीलांट द्वारा पुनः रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 03.05.2018 से विक्रय किया गया था। इस बाबत् अपीलांट एवं रेस्पो0 क्र. 1 के बीच दिनांक 15.06.2018 को इकरारनामा लिखा गया है, जिसके तहत रेस्पो0 क्र.1 की राशि अपीलांट को दिनांक 30.05.2019 तक चुकानी है। अपील के दौरान रेस्पो0 क्र. 1 हरिश शर्मा द्वारा दिनांक 11.09.2019 को राजीनामे की तहरीर आलेखित की गई। रेस्पो0 क्र. 1 के द्वारा अपीलांट के विरूद्ध पूर्व में एक फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। उक्त फौजदारी प्रकरण में भी दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा दिनांक 05.03.2022 को पेश किया जा चुका है। जिसके उपरांत राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 से प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से निस्तारण किया जा चुका है। अतः उपरोक्त राजीनामे के आधार पर अपील स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल संख्या 740 दिनांक 27.06.2018 को पुनः बहाल रखा जाने का आदेश फरमाया जावे।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्र. 1 हरिश शर्मा द्वारा दिनांक 11.09.2019 को राजीनामे की तहरीर आलेखित की गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 में फौजदारी प्रकरण में राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2019 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण में उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत किये गये राजीनामे में उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारां द्वारा प्रकरण संख्या 138/2018 बउनवान हरिश शर्मा बनाम सुरेश वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2019 अपास्त किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार, अटरू के द्वारा तस्दीक इंतकाल संख्या 740 दिनांक 27.06.2018 वाके ग्राम दीवाली, तहसील अटरू को पुनः बहाल किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

9/4/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा